न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—14/2021 (2021/37) वाद पत्र

अनवान

1—जगन्नाथ पिता गंगाराम कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1—प्रताप पिता तलोक बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—सोहन पिता प्रताप बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—मांगु पिता भुरा बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—भागु पिता भुरा बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—चान्दी बेवा भुरा बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—जेठुड़ी पुत्री भुरा बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः—13/04/2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुरास पटवार मण्डल बागोलिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा की बैरून हल्का आबादी में वादी के पिता एवं उनके भाई तलोक पिता रूपा के सामलाती खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 91 रकबा 2 बिस्वा गे.मु.आ.चा. आराजी संख्या 184/2 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 266/1 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, आराजी संख्या 408 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 425 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 478 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 61 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 160 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 477 रकबा 2 बीघा कुल किता 9 कुल रकबा 19 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्व खाता संख्या 32 पर दर्ज रेकार्ड थी। प्रमाण में साबिक जमाबन्दी संवत 2038 से 2041 तक प्रस्तुत की है। उक्त वर्णित साबिक आराजियात वादी के पिता गंगाराम एवं उनके भाई तलोक पिता रूपा के मध्य जरिये नामान्तरणकरण संख्या 382 के वाद पत्र में अंकित साबिक आराजियात का ऐच्छिक विभाजन हुआ जिससे [illegible] पिता के हिस्से में साबिक आराजियात संख्या 184/2क, 266/1क, 408/[illegible] 160/1, 477/1 कुल किता 08 कुल रकबा 09 बीघा 17 बि[illegible] में आयी तथा आराजी चाह संख्या 91 बदस्तुर सामलाती रहा। कालान्तर में विभाजन के [illegible]त् साबिक, आराजि[illegible] में से खातेदार तलोक पिता रूपा ने 0.37 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण को विक्रय की। एवं मौके पर कब्जा सिपुर्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:39 IST
Reason: SelfAttested

किया। विभाजन के समय से ही वादी के पिता एवं उनके भाई तलोक पिता रूपा का मौके पर उनके हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है। एवं विभाजन अनुसार ही मौके पर वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। भू प्रबन्ध के दौरान वाद पत्र की कलम नम्बर 01 में अंकित साबिक आराजियात जो वादी के विभाजन में उसके हिस्से में दर्ज हुई जिसके नवीन नम्बर कायम हुए। नवीन नम्बर कायम करने के दौरान भू–प्रबन्ध कर्मचारियों ने वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे को नजर अन्दाज करते हुए केवल मात्र नवीन नक्शे में नवीन आराजियात का अंकन कर दिया। जिससे वादी का जहां कब्जा था, वह भूमि प्रतिवादीगण के नाम नर दर्ज कर दी तथा जहां पर प्रतिवादीगण का कब्जा था. वह भूमि वादी के नाम पर दर्ज कर दी। इस प्रकार नवीन आराजी संख्या 221 जिसका सम्पूर्ण रकबा 0.38 हैक्ट बनता हैं। जिसमें से आराजी संख्या 221/812 रकबा 0.18 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज कर दी जबकि उक्त रकबे पर वादी का कब्जा है। इसी प्रकार आराजी संख्या 84 रकबा 0.17 हेक्ट भूमि वादी के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं, लेकिन कब्जा प्रतिवादीगण का है तथा नवीन आराजी चाह संख्या 85 तन्हा वादी के नाम पर दर्ज कर दी जबकि 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण का है। जिससे वादी पुनः घोषणात्मक डिक्री जारी करवाकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरुस्ती करवाने का अधिकारी है। भू–प्रबन्ध कर्मचारियों ने बिना किसी विधिक अधिकार के वादी एवं प्रतिवादीगण के कब्जे के विपरीत नवीन रेकार्ड कायम कर दिया गया है। जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कई बार वादी ने प्रतिवादीगण को अपने–अपने कब्जे अनुसार नवीन आराजियात संशोधन करवाकर दर्ज करवाने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण हर बार आश्वस्त करते रहे कि भूमियां अलग–अलग नाम पर हैं, जो एक दुसरे के कब्जे अनुसार वापस दर्ज करवा देंगे। लेकिन अब तक भी भूमियां दर्ज नहीं हुई हैं। प्रतिवादीगण अनुसूचित जाति से हैं जिनका जरिये पंजीयन वादी के नाम नहीं हो सकता है। वादी ने अन्तिम बार प्रतिवादीगण को दिनांक 23.11.2020 को इन्द्राज दुरुस्ती करवाने बाबत् कहा लेकिन अब तक भी दुरुस्ती कब्जे अनुसार नहीं करवाई हैं। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण जारी फरमाई जाकर राजस्व ग्राम सुरास पटवार मण्डल बागोलिया की नवीन आराजी संख्या 221/812 रकबा 0.18 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज करवाई जावे तथा नवीन आराजी संख्या 84 रकबा 0.17 है0 भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज करवाई जावे एवं नवीन आराजी संख्या 85 रकबा 0.01 है0 गे.मु.आ.चा. में 1/2 हिस्से अनुसार वादी के साथ–साथ प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रेकार्ड करवाया जावे।

प्रस्तुत वाद [illegible] दिनांक 08/02/2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी [illegible] गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 बावजुद [illegible] होने से एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 7 के द्वारा प[illegible] लिखा कि राजहित प्रभावित नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:39 IST
Reason: SelfAttested

वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस मुख्य कथन किया कि साबिक रेकार्ड में साबिक आराजी संख्या 61/2 व 160/2 के बटा नम्बर डालने में गलती हुई है जिससे वाद कारण उत्पन्न हुआ है। वाद के समर्थन में संलग्न दस्तावेज का अवलोकन फरमाते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध साबिक एवं नवीन रेकार्ड का अध्ययन किया तो पाया कि मूल खातेदार तलोक पिता रूपा के द्वारा साबिक आराजी संख्या 61/2 रकबा 17 बिस्वा, एवं 160/2 रकबा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि श्री प्रताप पिता तलोक सोहन पिता प्रताप एवं भुरा पिता तलोक को विक्रय करने से जरिये नामान्तकरण 449 के भूमि क्रेता के नाम दर्ज हुई है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी संख्या 61/2 के नवीन आराजी संख्या 83 एवं 160/2 के नवीन आराजी संख्या 221/812 दर्ज हुए है जो राजस्व जमाबन्दी 2073 से 2076 में नवीन आराजी संख्या 83 रकबा 0.19 है0 एवं 221/812 रकबा 0.18 है0 भूमि क्रेता विपक्षीगण के नाम दर्ज दर्ज रेकार्ड है जो साबिक एवं राजस्व रेकार्ड के अनुसार सही है। किन्तु इस प्रकरण में तत्कालीन साबिक खसरा नम्बरान के बटा नम्बर 1 व 2 डाले गये थे वो मौके अनुसार नही होकर कब्जे के विपरीत डाले गये थे जिससे त्रुटी हुई है जबकि मौके पर वादी व प्रतिवादीगण दोनो अपने अपने वक्त विभाजन से ही निर्विवाद रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है। रेकार्ड और मौका में एकरूपता हो इसी को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता जाना उचित है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरास पटवार मण्डल बागोलिया की नवीन आराजी संख्या 221/812 रकबा 0.18 है0 भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड जिसको वादी के नाम एवं नवीन आराजी संख्या 84 रकबा 0.17 है0 भूमि जो वादी के नाम दर्ज रेकार्ड जिसको प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जावे। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

13/04/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:39 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–14 / 2021 (2021 / 37) वाद पत्र

अनवान

1–जगन्नाथ पिता गंगाराम कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

वादी

बनाम

1–प्रताप पिता तलोक बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–सोहन पिता प्रताप बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–मांगु पिता भुरा बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–भागु पिता भुरा बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–चान्दी बेवा भुरा बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–जेठुड़ी पुत्री भुरा बलाई निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम सुरास पटवार मण्डल बागोलिया की नवीन आराजी संख्या 221 / 812 रकबा 0.18 है0 भूमि जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड जिसको वादी के नाम एवं नवीन आराजी संख्या 84 रकबा 0.17 है0 भूमि जो वादी के नाम दर्ज रेकार्ड जिसको प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 13.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

13/04/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.05.10 14:11:39 IST
Reason: SelfAttested